

फर्द अहकाम

(नियम-26)


अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

नूरजहाँ बेगम पत्नि मियाज अली जाति मुसलमान निवासी किरतपुरा हाल साकरिया तहसील निम्बाहेड़ा वगैरा

बनाम

आसिफ खां पिता सलामत खां पठान निवासी नगरपालिका के पीछे कानोड़, जिला उदयपुर वगैरा

कार्यवाही :- अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रकरण संख्या 82/2022 (रा.अ.)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|---|--|
| 08.12.25 | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट उपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी अपीलांट्स तथा उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट्स तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>  | |